वकील प्रार्थी नवीन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के अपने अधिकार को सुरक्षित रखते हुये वाद पत्र विड्रो किया गया। वकील प्रार्थी पत्रावली पर आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर आगे कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अत: वकील प्रार्थी के मौखिक निवेदन तथा पत्रावली आदेशिका पर दर्ज टिप्पणी को स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के नवीन प्रार्थना पत्र को पेश करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुये प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही इसी स्तर समाप्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो। नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

SDO, BHINAI
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)